



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-07012026-269148  
CG-RJ-E-07012026-269148

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73।

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2026/पौष 15, 1947

No. 73।

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2026/PAUSAH 15, 1947

रेल मंत्रालय  
[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]  
अधिसूचना

जयपुर, 1 जनवरी 2026

**का.आ. 83(अ).**— केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम (संशोधन) 2008 (2008 का 11वां) (जिसे इसमें इसके पश्यात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (क) की उप धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप) खण्ड-(ii), दिनांक 16 सितम्बर 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (उत्तर पश्चिम रेलवे निर्माण विभाग) की अधिनियम संख्या का आ. 4216 (अ) दिनांक 17 सितम्बर 2025 (जिसे इसके पश्यात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनूसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में पुष्कर तहसील में विशेष रेल परियोजना “पुष्कर-मेड़ता (कत्यासनी) नयी बड़ी रेल लाइन परियोजना (विशेष रेल परियोजना)” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की गई थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार अधिनियम की धारा 20 अ की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात् “दैनिक भास्कर” और “राजस्थान पत्रिका” में तारीख 25 सितम्बर 2025 को प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी को इस परियोजना में तय समय में प्राप्त आपत्ति का निस्तारण किया जा चुका है;

और, उक्त अधिनियम के द्वारा सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप-धारा (20)ङ. की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को सौंप दी है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम, की धारा 20ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

यह और की, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 2ई की उपधारा (2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती है की इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

### पूरक अनुसूची (Supplementary)

राजस्थान राज्य के अजमेर मंडल में पुष्कर – मेड्डता (कत्यासनी) (51.346 कि. मी.) नई बड़ी रेल लाइन परियोजना (विशेष रेल परियोजना) के लिए अजमेर जिले में आने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अवास रकबा (वर्ग मी. में)	अवास रकबा (हेक्टेयर में)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू-स्वामी का नाम
1	अजमेर	पुष्कर	गनाहेड़ा	3220/539	सरकारी	गै.मु.रास्ता	434.310	0.0434	0.2000	1. अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर हिस्सा- पूर्ण सा.देह सँस्था,
2	अजमेर	पुष्कर	गनाहेड़ा	3079/594	निजी	चाही 1	1669.173	0.1669	0.1700	1. गोपाल पुत्र छगन लाल हिस्सा- 386/425 जाति- कहार मकान संख्या- 0, कॉलोनी- गनाहेड़ा, थेत्र/स्थान- गनाहेड़ा, शहर- पुष्कर, पिन कोड- 305022, ज़िला - AJMER, राज्य- RAJASTHAN खातेदार 2. राजेश जोशी पुत्र भैरुलाल हिस्सा- 39/425 जाति- ब्राह्मणजोशी नि.चोसला रोड पानी की टंकी के पास, बिजयनगर, ज़िला -अजमेर खातेदार,
3	अजमेर	पुष्कर	गनाहेड़ा	613/2682	निजी	गै.मु.चाह	99.990	0.009999	0.0100	1. ऊमी पति भैरुलाल हिस्सा- 1/6 जाति- रावत सा. देह खातेदार 2. गुमानी पुत्र भैरुलाल हिस्सा- 1/6 जाति- रावत सा. देह खातेदार 3. नैंगा पुत्र भैरुलाल हिस्सा- 1/6 जाति- रावत सा. देह खातेदार 4. प्रेम पुत्र भैरुलाल हिस्सा- 1/6 जाति- रावत सा. देह खातेदार

									5. रामस्वरूप पुत्र भैंवरलाल हिस्सा- 1/6 जाति- रावत सा. देह खातेदार 6. सोहनी पुत्र भैंवरलाल हिस्सा- 1/6 जाति- रावत सा. देह खातेदार,
4	अजमेर	पुष्कर	नान्द	3210/3190	निजी	आवासीय प्रयोजन	175.000	0.0175	0.3200
कुल योग							2378.473	0.2378	0.7000

[फा. सं. उपरे /मुख्यालय /एस एण्ड सी /443599200 भाग-23]

राजीव श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

## MINISTRY OF RAILWAYS

### [North Western Railway (Construction Organisation)]

#### NOTIFICATION

Jaipur, the 1st January, 2026

**S.O. 83(E).**— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (North Western Railway, Construction organisation), Notification number, S.O. 4216(E), dated the 16<sup>th</sup> September, 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 17<sup>th</sup> September, 2025 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (i) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely "**Pushkar-Merta (Katyasani) New BG line Project (Special Rail Project)**" in Tehsil Pushkar of District Ajmer in the state of Rajasthan.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely "**Dainik Bhaskar**" and "**Rajasthan Patrika**" Dated 25<sup>th</sup> September-2025 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, objections received within the stipulated time period were resolved by Competent Authority and accordingly.

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declare that the lands specified in the schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, The Central Government hereby declares that on publication of the notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

### SCHEDEULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure for Special Railway Project namely "Pushkar-Merta (Katyasani) New BG line Project (Special Rail Project)" in Tehsil Pushkar of District Ajmer in the state of Rajasthan..**

**District Name – Ajmer**

**Tehsil Name - Ajmer**

Sr. No.	Name of District	Name of Tehsil	Village Name	Survey No./Khasra No.	Type of Land	Nature of Land	Acquired Area (in Sq. Mtr.)	Acquired Area (in Hact.)	Total Area (in Hact.)	Name of Land Owner
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Ajmer	Pushkar	Ganaheda	3220/539	Government	Non-profit road	434.310	0.0434	0.2000	1. Ajmer Development Authority Ajmer Hissa- Complete Body Organization,
2	Ajmer	Pushkar	Ganaheda	<u>3079/594</u>	Private	Chahi 1	1669.173	0.1669	0.1700	1. Gopal S/o Chhagan Lal Hissa-386/425 Caste- Kahar House No- 0, Colony- Ganahera, Area/Place- Ganahera, City- Pushkar, Pin Code- 305022, District - AJMER, State- RAJASTHAN Account Holder 2. Rajesh Joshi son of Bhairulal, Hissa-39/425, caste- Brahmin Joshi, resident of Chosla Road, near water tank, Bijaynagar, district- Ajmer, account holder,
3	Ajmer	Pushkar	Ganaheda	613/2682	Private	G.M.C.A.	99.990	0.009999	0.0100	1. Oomi wife of Bhanwarlal Share-1/6 Caste- Rawat Sa. account holder 2. Gumanji S/o Bhanwarlal Share-1/6 Caste- Rawat Sa. account holder 3. Nanga S/o Bhanwarlal Share-1/6 Caste- Rawat Sa. account holder 4. Prem S/o Bhanwarlal Share-1/6 Caste- Rawat Sa.

									account holder 5. Ramswaroop Son Bhanwarlal Share- 1/6 Caste- Rawat Sa. account holder 6. Sohni S/o Bhanwarlal Share- 1/6 Caste- Rawat Sa. account holder
4	Ajmer	Pushkar	Nand	3210/3190	Private	residential purpose	175.000	0.0175	0.3200
<b>Grand Total</b>							<b>2378.473</b>	<b>0.2378</b>	<b>0.7000</b>

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol.XXIII]  
RAJEEV SHRIVASTAVA, Chief Administrative Officer (Const.)